



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020
अग्रहायण 29, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2520/9-1-2020-42टी.ए.-18

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-507

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत, कन्चौसी, जिला कानपुर देहात का गठन करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 2245/9-1-2019-42टी0ए0-18, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को जारी की गयी थी और दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 792/9-1-2020-42टी0ए0-18, दिनांक 26 जून, 2020 द्वारा निस्तारण कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत कन्चौसी, जिला कानपुर देहात के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

जिला कानपुर देहात में नगर पंचायत कन्चौसी का प्रादेशिक क्षेत्र :-

क्र०सं०	ग्रामों के नाम	गाटाओं का विवरण
1	बान	01 से 286 तक, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 461 से 533 तक; 590 से 630 तक; 635
2	रानेपुर रसूलाबाद	कुल गाटा
3	सढरामऊ	कुल गाटा
4	जिस्टामऊ	कुल गाटा

अनुसूची-2

नगर पंचायत कन्चौसी, जिला कानपुर देहात की सीमा :-

क्र०सं०	ग्रामों के नाम	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	2	3	4	5	6
1	बान	521, 522, 525, 526, 529, 531, 533, 590, 591, 592, 593, 597, 598, 610, 612, 613, 614, 615, 627, 630, 635	सीमा ग्राम नौगवॉ व ग्राम ढिकियापुर जिला औरैया	सीमा ग्राम रानेपुर रसूलाबाद व जिस्टामऊ व राजपुर	249, 285, 286, 290, 292, 296, 461, 464, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 527, 529,
2	रानेपुर रसूलाबाद	सीमा ग्राम बान खास व सीमा ग्राम जिस्टामऊ	सीमा ग्राम नौगवॉ जिला औरैया	सीमा जिस्टामऊ व सीमा ग्राम सदरामऊ जनपद कानपुर देहात व सीमा ग्राम लखियामऊ जिला औरैया	सीमा ग्राम बान बाजार कन्चौसी मजरा बान व बान खास
3	सदरामऊ	सीमा ग्राम दबौली व सीमा ग्राम राजपुर	सीमा ग्राम लखियामऊ जिला औरैया	सीमा ग्राम तेजपुर उर्फ मुबारकपुर जनपद कानपुर देहात व सीमा ग्राम मढनई जिला औरैया	सीमा ग्राम जिस्टामऊ
4	जिस्टामऊ	सीमा ग्राम राजपुर व सीमा ग्राम बान खास	सीमा ग्राम रानेपुर रसूलाबाद	सीमा ग्राम सदरामऊ	सीमा ग्राम बान खास व सीमा ग्राम रानेपुर रसूलाबाद

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2520/IX-1-2020-42TA-18, dated December 20, 2020:

No. 2520/IX-1-2020-42T.A.-18

Dated Lucknow, December 20, 2020

WHEREAS Government notification no. 2245/IX-1-2019-42T.A.-2018, dated November 28, 2019 was issued and published in the *Gazette* dated November 28, 2019 with a view to inviting objections and suggestions for issuance of Notification to declare the transitional area for the Constitution of Nagar Panchayat, Kanchausi, District Kanpur Dehat as required under sub section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916);

AND, WHEREAS, objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of *vide* Government order no. 792/IX-1-2020-42T.A.-18, dated June 26, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is

specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of part IX-'A' of the Constitution and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Kanchausi in District Kanpur Dehat.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Kanchausi in District Kanpur Dehat

Sr. No.	Name of Villages	Detail of Gattas
1	2	3
1	Baan	01 to 286, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 461 to 533; 590 to 630; 635
2	Ranepur Rasoolabad	Total Gattas
3	Sadhramau	Total Gattas
4	Jistamau	Total Gattas

SCHEDULE-2

Boundary of Nagar Panchayat Kanchausi District Kanpur Dehat

Sr. No.	Name of Villages	East	West	North	South
1	2	3	4	5	6
1	Baan	521, 522, 525, 526, 529, 531, 533, 590, 591, 592, 593, 597, 598, 610, 612, 613, 614, 615, 627, 630, 635	Boundary village Naugawa and village, Dhikiyapur, District Auraiya	Boundary village Ranepur Rasoolabad, Jistamau and Rajpur	249, 285, 286, 290, 292, 296, 461, 464, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 527, 529,
2	Ranepur Rasoolabad	Boundary village Baan khas and Jistamau	Boundary village Naugawa District Auraiya	Boundary village Jistamau, Sadhramau, District kanpur Dehat and village Lakshiyamau, District Auraiya	Boundary village Baan Bazaar Kanchausi, Mazra Baan and Baan khas
3	Sadhramau	Boundary village Dabauli and Rajpur	Boundary village Lakshiyamau, District Auraiya	Boundary village Tejpur <i>urf</i> mubarakpur, District kanpur Dehat and village Madhnai District Auraiya	Boundary village Jistamau
4	Jistamau	Boundary village Rajpur and Baan khas and Jistamau	Boundary village Ranepur Rasoolabad	Boundary village Sadhramau	Boundary village Baan khas and Ranepur Rasoolabad

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 600 राजपत्र-2021-(1208)-599+50=649 प्रतियौ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।